फर्दअंहकाम

(नियम 26)

अजअदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....तालेडा जिला बून्दी राजस्थान ....

हेमपाल बुनकर पुत्र मुरलीधर बुनकर.......... बनाम ....राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा.................

किस्म मुकदमा ......प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी.....नं. ...22/[illegible]/न .....2025....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीलमेंजारीहुए
20.05.2025	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0सं0 25/355 रकबा 0.2104 हेक्टे0 वाके ग्राम तीतरवासा में पंहुच हेतु 30 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता हेतु भूमि ख0सं0 167 रकबा 0.2266 हेक्टे0, ख0सं0 170 रकबा 0.5989 हेक्टे0 जो वाके ग्राम छपावदा में स्थित है मे से रास्ता लेने हेतु आवेदन किया था। जिसकी मौका रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा के द्वारा नक्शा लटठ्ा के अनुसार तैयार कर दी तथा उक्त रिपोर्ट के मुताबिक श्रीमान के द्वारा दिनांक 16.04.2025 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित कर दिया। किन्तु उक्त निर्णय की पालना नही हो पा रही है, क्योकि नक्शा लटठ्ा के मुताबिक रिपोर्ट पेश करने के कारण वर्तमान प्रचलित भू- नक्शा में रास्ता में रास्ता दर्ज नही हो पा रहा है इस कारण तहसीलदार तालेडा से वर्तमान भू-नक्शा के मुताबिक निर्णय किया जाना अतिआवष्यक है। इस लिए पत्रावली सं. 340/25 को तलब किया जाकर उसी पत्रावली पर दोबारा रिपोर्ट मंगवाकर पुनः निर्णय पारित किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की जांच हेतु तहसीलदार तालेडा को पत्र जारी कर रिपोर्ट तलब की गई जिसके अनुसार तहसीलदार तालेडा ने जर्ये पत्रांक 1663 दिनांक 16.5.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ख0सं0 167 नक्शा लटठे में व ऑनलाईन भू-नक्शा में भिन्नता होने से तरमीम करवाने पर ज्ञात हुआ कि आवेदित भूमि तक पहुंच हेतु ख0सं0 167 की लम्बाई पूर्व से अधिक अपेक्षित है अतः ख0सं0 167 में से पूर्व रकबा 0.0036 हेक्टे0 के स्थान पर रकबा 0.0200 हेक्टे. का रास्ता अपेक्षित है। पूर्व प्रस्तावित रास्ते ख0सं0 167 में 13×30 फिट = 390 वर्ग फिट के स्थान पर अब 72×30 फिट = 2160 वर्गफिट का संशोधित रास्ता आवेदित भूमि तक पहुंच हेतु आवश्यक है। अतः प्रस्तावित रास्ते की भूमि से आवेदित भूमि तक पहुंच हेतु ख0सं0 170 में से रकबा 12.5 गुणा 30 = 375 वर्गफिट(35 वर्ग मीटर) व ख0सं0 167 में से 72 गुणा 30 = 2160 वर्गफिट (200 वर्ग मीटर)संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रकरण सं0 340/2025 हेमपाल बुनकर बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2025 मे तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भूमि ख0सं0 167 में पूर्व प्रस्तावित रास्ता 13 गुणा 30 त्रुटी पूर्व था जबकि आवेदक की भूमि से मूल रास्ते तक पहुंच हेतु ख0सं0 167 में वास्तविक रास्ते की दूरी 72 गुणा 30 = 1260 वर्ग फिट होना चाहिए था। जिसे तहसीलदार तालेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र सं0 340/2025 हेमपाल बुनकर बनाम सरकार में दिनांक 16.4.2025 को पूर्व पारित आदेश में आंशिक	

संशोधन किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0सं0 25/355 रकबा 0.2104 हैक्टे0 वाके ग्राम तीतरवासा तहसील तालेडा में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए राजकीय सिवायचक आराजी वाके ग्राम छपावदा के ख0सं0 167 रकबा 0.2266 हैक्टे0 में से रकबा 72 गुणा 30 वर्गफीट = 2160 वर्ग फीट व ख0सं0 170 रकबा 0.5989 में से 12.5 गुणा 30 फीट = 375 वर्ग फीट कुल 1635 वर्ग फीट भूमि संलग्न नक्शानुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली अतिरिक्त भूमि हेतु पूर्वानुसार भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. राशि का दुगना नियमानुसार राजकोष में जमा करवाया जावे तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति मूल पत्रावली 340/2025 के संलग्न हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।